**भारत सरकार**

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय**

**स्‍कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या : 2148**

**उत्तर देने की तारीखः 12**.0**5**.2016

**शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु निधियां**

**2148. श्री दर्शन सिंह यादवः**

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत दो वर्षों के दौरान शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु विभिन्न राज्यों को आवंटित की गई निधियों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) बेहतर शिक्षण सुविधा तथा छात्रों को उत्कृष्ट प्रासंगिक शिक्षा प्रदान करने के लिए देश में शिक्षक प्रशिक्षण संकाय में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

**उत्तर**

मानव संसाधन विकास मंत्री

**(**श्रीमती स्‍मृति ज़ूबिन इरानी)

(क) और (ख): केंद्र सरकार, राज्‍य सरकारों और संघ राज्‍य क्षेत्र प्रशासनों को प्रारंभिक शिक्षा के शिक्षण स्‍तरों में सुधार लाने के अनेक कार्यक्रमों के लिए सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के माध्‍यम से सहायता प्रदान करती है। इसमें अन्‍य बातों के साथ-साथ नियमित सेवाकालीन अध्‍यापक प्रशिक्षण, नए भर्ती अध्‍यापकों के लिए प्रवेश प्रशिक्षण, सभी अप्रशिक्षित अध्‍यापकों को व्‍यावसायिक योग्‍यता प्राप्‍त करने के लिए मुक्‍त दूरस्‍थ शिक्षा (ओडीएल) मोड के जरिए प्रशिक्षण, ब्‍लॉक तथा क्‍लस्‍टर संसाधन केंद्रों के माध्‍यम से अध्‍यापकों को शैक्षिक सहयोग, छात्रों के कार्य निष्‍पादन का आकलन करने और जहां कहीं आवश्‍यक हो सुधारात्‍मक कार्रवाई करने में अध्‍यापकों को समर्थ बनाने के लिए सतत तथा व्‍यापक मूल्‍यांकन (सीसीई) प्रणाली, समुचित अध्‍यापन-अधिगम सामग्री आदि के विकास के लिए शिक्षक एवं स्‍कूल अनुदान शामिल हैं।

 राष्‍ट्रीय माध्‍यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) के अंतर्गत, केंद्र सरकार सेवारत अध्‍यापकों के लिए 5 दिन के विषय प्रशिक्षण और आईसीटी के मॉड्यूल पर 5 दिन के प्रशिक्षण तथा समावेशी शिक्षा और जेंडर सुग्राहीकरण आदि के साथ-साथ प्रतिवर्ष 10 दिन के सेवाकालीन अध्‍यापक प्रशिक्षण का प्रावधान करती है। इसके अतिरिक्‍त, आरएमएसए के तहत राष्‍ट्रीय आविष्‍कार अभियान (आरएए) पहल के द्वारा राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों को विज्ञान तथा गणित अध्‍यापकों के 10 दिन के विशिष्‍ट प्रशिक्षण हेतु वित्‍तीय सहायता दी जा रही है। एसएसए और आरएमएसए के तहत गत दो वर्षों के दौरान शिक्षक प्रशिक्षण हेतु आबंटित निधियों का राज्‍य-वार ब्‍यौरा अनुबंध-I और अनुबंध-II में दिया गया है।

केंद्र सरकार ने राष्‍ट्रीय अध्‍यापक शिक्षा परिषद् (एनसीटीई) को अध्‍यापक शिक्षा और अर्हता के लिए राष्‍ट्रीय स्‍तर के अकादमिक प्राधिकरण के रूप में अधिसूचित किया है। एनसीटीई ने नि:शुल्‍क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के अनुसार अध्‍यापक अर्हताएं निर्धारित की हैं। परिषद् ने यह भी अनिवार्य बनाया है कि एनसीटीई द्वारा निर्धारित अध्‍यापक अर्हता धारक सभी व्‍यक्‍तियों को अध्‍यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी) भी उत्‍तीर्ण करनी होगी। एनसीटीई के इन दो कदमों को आम तौर पर सेवा-पूर्व अध्‍यापक शिक्षा के मानकों में सुधार के ऐसे प्रयासों के रूप में देखा जा रहा है, जो अंतत: गुणवत्‍तापूर्ण शिक्षा पर प्रभाव डालेंगे।

एसएसए के तहत, केंद्र सरकार प्रारंभिक स्‍कूलों के अध्‍यापकों के लिए गुणवत्‍तापूर्ण सेवारत अध्‍यापक प्रशिक्षण सुनिश्‍चित करने के लिए बीआरसी और सीआरसी की संगठनात्‍मक अवसंरचना को वित्‍तीय सहयोग प्रदान करती है।

केंद्र सरकार ने अध्‍यापकों, शिक्षण, अध्‍यापक तैयारी, व्‍यावसायिक विकास, पाठ्यचर्या डिजाइन, शिक्षा-शास्‍त्र में शोध एवं कारगर शिक्षण विकसित करने से संबंधित सभी मुद्दों के व्‍यापक समाधान की दृष्‍टि से दिसंबर, 2014 में ‘पंडित मदन मोहन मालवीय राष्‍ट्रीय अध्‍यापक एवं शिक्षण मिशन’ का शुभारंभ किया है।

अभी हाल ही में दिनांक 08.02.2016 को नई दिल्‍ली में अध्‍यापक शिक्षा पर आयोजित शिक्षा मंत्रियों की बैठक में शिक्षा की गुणवत्‍ता में सुधार के अनेक कदमों पर चर्चा की गई थी। इनमें सरकारी स्कूलों में अध्‍यापक शिक्षा कार्यक्रमों के लिए इंटर्नशिप; अध्‍यापक शिक्षा संस्‍थानों के लिए प्रत्‍यायन फ्रेमवर्क का विकास तथा सेवानिवृत्‍त अध्‍यापकों की स्‍वैच्‍छिक सेवाएं लेना शामिल है।

\*\*\*\*\*

**अनुबंध-I**

**शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु निधियों के संबंध में श्री दर्शन सिंह यादव द्वारा दिनांक 12.05.2016 को राज्‍य सभा में पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्‍न सं. 2148 के भाग (क) के उत्‍तर में उल्‍लिखित अनुबंध-I**

**सर्व शिक्षा अभियान के तहत पिछले दो वर्ष के लिए बीआरसी और सीआरसी स्तर पर सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण का विवरण**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **क्र.****सं.** | **राज्‍य** | **बीआरसी स्तर** | **सीआरसी स्तर** |
| **2014-15** | **2015-16** | **2014-15** | **2015-16** |
| **वास्‍तविक** | **वित्‍तीय (रु. लाख में)** | **वास्‍तविक** | **वित्‍तीय (रु. लाख में)** | **वास्‍तविक** | **वित्‍तीय (रु. लाख में)** | **वास्‍तविक** | **वित्‍तीय (रु. लाख में)** |
| 1 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 1332 | 13.32 | 1340 | 6.70 | 1332 | 6.66 | 1340 | 6.71 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 188816 | 819.25 | 137702 | 688.52 | 139979 | 1119.83 | 137702 | 1099.30 |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 8724 | 43.62 | 12501 | 79.32 | 8724 | 43.62 | 12501 | 75.01 |
| 4 | असम | 86163 | 451.58 | 127942 | 767.65 | 86163 | 430.82 | 127942 | 1279.42 |
| 5 | बिहार | 308463 | 950.47 | 138739 | 497.68 | 389498 | 1947.49 | 310922 | 1554.61 |
| 6 | चंडीगढ़ | 700 | 3.50 | 1090 | 7.80 | 700 | 1.40 | 0 | 0.00 |
| 7 | छत्तीसगढ़ | 125615 | 863.19 | 133274 | 665.37 | 125615 | 468.55 | 132774 | 663.87 |
| 8 | दादरा और नागर हवेली | 1267 | 6.34 | 1517 | 7.59 | 1267 | 6.34 | 1517 | 7.59 |
| 9 | दमन और दीव | 418 | 2.96 | 418 | 2.07 | 418 | 0.84 | 418 | 2.51 |
| 10 | दिल्ली | 17169 | 49.67 | 12638 | 71.94 | 31279 | 62.56 | 15912 | 46.53 |
| 11 | गोवा | 4206 | 14.62 | 2607 | 14.18 | 4206 | 17.82 | 2607 | 14.18 |
| 12 | गुजरात | 0 | 0.00 | 215124 | 1720.99 | 444986 | 2224.92 | 215124 | 860.49 |
| 13 | हरियाणा | 46268 | 361.34 | 14595 | 58.38 | 38778 | 155.11 | 14595 | 58.38 |
| 14 | हिमाचल प्रदेश | 23676 | 236.76 | 30305 | 304.55 | 23676 | 118.38 | 30305 | 151.53 |
| 15 | जम्मू और कश्मीर | 75606 | 529.24 | 62389 | 311.95 | 2000 | 20.00 | 62389 | 187.18 |
| 16 | झारखंड | 129373 | 348.58 | 124963 | 337.65 | 129373 | 479.57 | 124963 | 412.23 |
| 17 | कर्नाटक | 150396 | 751.98 | 159603 | 957.62 | 150396 | 751.98 | 159603 | 798.02 |
| 18 | केरल | 95901 | 671.31 | 121737 | 852.16 | 95901 | 767.21 | 121737 | 852.16 |
| 19 | लक्षद्वीप | 433 | 4.33 | 433 | 4.33 | 433 | 0.87 | 433 | 4.33 |
| 20 | मध्य प्रदेश | 157954 | 789.77 | 200294 | 1001.47 | 157954 | 825.66 | 254870 | 1353.53 |
| 21 | महाराष्ट्र | 146832 | 734.16 | 488984 | 1737.45 | 228291 | 959.07 | 403935 | 2019.68 |
| 22 | मणिपुर | 15543 | 77.72 | 18520 | 92.60 | 15543 | 77.72 | 18520 | 92.60 |
| 23 | मेघालय | 9074 | 30.73 | 3110 | 9.55 | 2174 | 10.87 | 3110 | 9.55 |
| 24 | मिजोरम | 11882 | 59.41 | 11564 | 57.82 | 11882 | 59.41 | 11564 | 92.51 |
| 25 | नगालैंड | 11657 | 76.01 | 10799 | 96.23 | 11657 | 58.29 | 10799 | 48.12 |
| 26 | ओडिशा | 114491 | 745.89 | 178310 | 1021.74 | 114491 | 763.66 | 134397 | 940.78 |
| 27 | पुद्दुचेरी | 2281 | 13.69 | 650 | 3.25 | 2281 | 11.41 | 650 | 3.25 |
| 28 | पंजाब | 48175 | 240.88 | 51438 | 282.84 | 43875 | 219.38 | 51438 | 257.19 |
| 29 | राजस्थान | 128780 | 772.68 | 112796 | 902.37 | 128780 | 515.12 | 112796 | 451.18 |
| 30 | सिक्किम | 2688 | 32.26 | 2688 | 37.61 | 2688 | 16.13 | 2688 | 19.18 |
| 31 | तमिलनाडु | 173735 | 615.33 | 343425 | 738.98 | 164485 | 1151.40 | 212018 | 1484.13 |
| 32 | तेलंगाना | 124842 | 541.68 | 88219 | 441.09 | 92563 | 740.50 | 88219 | 705.74 |
| 33 | त्रिपुरा | 13420 | 67.10 | 27507 | 192.55 | 14960 | 119.68 | 27507 | 165.04 |
| 34 | उत्तर प्रदेश | 158795 | 2345.10 | 170465 | 681.86 | 0 | 0.00 | 170465 | 681.86 |
| 35 | उत्तराखंड | 31203 | 314.23 | 29197 | 233.58 | 31203 | 156.02 | 29197 | 116.79 |
| 36 | पश्चिम बंगाल | 241725 | 483.45 | 185168 | 395.23 | 50512 | 252.56 | 57512 | 108.02 |
|   | **कुल** | **2657603** | **14062.12** | **3222051** | **15282.64** | **2748063** | **14560.81** | **3062469** | **16623.16** |

**अनुबंध- II**

**शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु निधियों के संबंध में श्री दर्शन सिंह यादव द्वारा दिनांक 12.05.2016 को राज्‍य सभा में पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्‍न सं. 2148 के भाग (क) के उत्‍तर में उल्‍लिखित अनुबंध-II**

**आरएमएसए के तहत शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए आबंटित निधियां**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **क्र.सं.** | **राज्य/संघ राज्‍य क्षेत्र** | **वर्ष 2014-15 के लिए आबंटित निधियां (रु. लाख में)** | **वर्ष 2015-16 के लिए आबंटित निधियां** **(रु. लाख में)** |
| 1 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 6.77 | 16.31 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 515.135 | 937.62 |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 23.728 | 51.12 |
| 4 | असम | 277.29 | 638.77 |
| 5 | बिहार | 378.48 | 522.42 |
| 6 | चंडीगढ़ | 4.515 | 12.04 |
| 7 | छत्तीसगढ़ | 259.18 | 380.57 |
| 8 | दादरा और नागर हवेली | 5.22 | 9.025 |
| 9 | दमन और दीव | 3.72 | 9.09 |
| 10 | दिल्ली | 124.570 | 267.19 |
| 1 1 | गोवा | 22.420 | 41.13 |
| 12 | गुजरात | 194.55 | 189.9 |
| 13 | हरियाणा | 230.85 | 232.17 |
| 14 | हिमाचल प्रदेश | 106.695 | 218.94 |
| 15 | जम्मू और कश्मीर | 138.69 | 175.25 |
| 16 | झारखंड | 36.7 | 81.57 |
| 17 | कर्नाटक | 554.67 | 1343.820 |
| 18 | केरल | 318.105 | 588.01 |
| 19 | लक्षद्वीप | 3.093 | 3.006 |
| 20 | मध्य प्रदेश | 289.89 | 448.5 |
| 21 | महाराष्ट्र | 1,059.53 | 1,576.19 |
| 22 | मणिपुर | 49.03 | 74.37 |
| 23 | मेघालय | 67.655 | 39.44 |
| 24 | मिजोरम | 38.94 | 62.19 |
| 25 | नगालैंड | 0 | 66.12 |
| 26 | ओडिशा | 432.15 | 331.94 |
| 27 | पुद्दुचेरी | 10.41 | 24.18 |
| 28 | पंजाब | 295.820 | 556.29 |
| 29 | राजस्थान | 433.89 | 642.62 |
| 30 | सिक्किम | 12.76 | 21.9 |
| 31 | तमिलनाडु | 652.11 | 1,941.08 |
| 32 | तेलंगाना | 446.74 | 661.14 |
| 33 | त्रिपुरा | 60.24 | 70.26 |
| 34 | उत्तर प्रदेश | 356.26 | 593.76 |
| 35 | उत्तराखंड | 115.23 | 154.41 |
| 36 | पश्चिम बंगाल | 350.310 | 605.05 |
|  | **कुल** | **7875.346** | **13587.39** |

स्रोत: पीएबी कार्यवृत्‍त और पीएमएस